प्रेसनोट

दिनांक- 22.09.2026

थाना हलधरपुर, जनपद मऊ।

अपहरण के मामले में वांछित 01 नफर बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 21.09.2026 को थलईपुर स्टेशन के पास से मु0अ0सं0- 162/2026, धारा 87 /137(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से संबंधित वांछित एक नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा बरामद अपहृता को महिला कर्मचारी की अभिरक्षा में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बाल अपचारी का चालान माननीय किशोर न्याय बोर्ड मऊ किया गया।

पंजीकृत अभियोंग

1. मु0अ0सं0 162/2026, धारा 87 / 137(2) बीएनएस थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम

1.एक नफर बाल अपचारी।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक – 21.09.2026

2.स्थान – थलईपुर स्टेशन के पास।

प्रेसनोट

दिनांक- 22.09.2026

थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।

हत्या के मामले में वांछित, 25000/- रूपया का इनामिया एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना चिरैयाकोट पुलिस व स्वाट टीम द्वारा दिनांक- 22.09.2026 को सेचुई नहर पुलिया के पास से मु0अ0स0- 107/26 धारा 3(5), 103(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व बढ़ोत्तरी धारा- 3(2)v एससी एसटी एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ से संबंधित वांछित 25000/- रूपया का इनामिया अभियुक्त शैलेश यादव पुत्र छेदी यादव निवासी ग्राम सेचुई बेलभद्र थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***विवरण घटना* -** दिनांक-23.08.2026 को गोलू कुमार पुत्र बैजनाथ निवासी जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ग्राम अमिरहा बारात में हंसराज उर्फ गोल्डी पुत्र हरिद्वार प्रसाद निवासी

लखनुवाडीह थाना रानीपुर जनपद मऊ व अनीश कुमार से बारात में लड़ाई झगड़ा मार पीट के विवाद को लेकर दिनांक 14.09.26 को अनीश कुमार उम्र करीब 22 वर्ष को अपने दोस्त गोल्डी पुत्र श्री हरिद्वार राम के साथ मोटरसाईकिल वाहन संख्या UP54AY5133 से जलालाबाद जनपद गाजीपुर से घर आते समय रास्ते मे सरसेना पेट्रोल पम्प से आगे काझा की तरफ पूर्व से घात लगाये हुए विपक्षीगण द्वारा घेर कर जान मारने की नियत समय 17.00 बजे अभियुक्तगण द्वारा योजना बद्ध तरीके से सम्बन्ध में गोली मार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में इनामिया 25000/रू अभियुक्त 1. शैलेश यादव पुत्र छेदी यादव निवासी सेचुई बेलभद्र थाना चिरैयाकोट मऊ उम्र करीब 24 वर्ष को अन्तर्गत धारा 3(5), 103(1) बीएनएस व 3(2)v एससी एसटी एक्ट मे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय जनपद मऊ किया गया।

पंजीकृत अभियोंग-

1.मु0अ0स0 107/26 धारा 3(5), 103(1) बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम व 3(2)v एससी एसटी एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम

1. शैलेश यादव पुत्र छेदी यादव निवासी ग्राम सेचुई बेलभद्र थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक – 22.09.2026

2.स्थान – सेचुई नहर पुलिया के पास थाना चिरैयाकोट।

***प्रेसनोट*–**

दिनांक- 22.09.2026

जनपद मऊ।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडितों का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 45,508/- (पैतालिस हजार पांच सौ आठ रुपया) पीडितों को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी व चिरैयाकोट साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 22.09.2026 को मोबाइल पर फोन कर यूपीआई के माध्यम से पीड़ितों /आवेदको के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 45,508/- (पैतालिस हजार पांच सौ आठ रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

***थानावार विवरण*-**

1.दिनांक 21.09.26 को थाना चिरैयाकोट के पीड़ित /आवेदक विजय कुमार पुत्र तिलकनाथ गौतम निवासी अब्बूपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ -28,008/- रूपया वापस कराया गया।

2.दिनांक 22.09.26 को थाना घोसी के पीड़िता /आवेदिका अनीता यादव पत्नी प्रदीप यादव निवासी रसूलपुर जगदेव थाना घोसी जनपद मऊ - 17,500/- रूपया वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेसनोट

दिनांक- 22.09.2026

जनपद मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 22.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 32 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1430 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 486 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 01 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेसनोट

दिनांक- 22.09.2026

जनपद मऊ।

आगामी त्यौहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु कोतवाली नगर में दुर्गा पूजा कमेटी, रामलीला कमेटी व पीस कमेटी के पदाधिकारीगण व पुलिस-प्रशासन व आयोजकों ने की बैठक व विस्तृत चर्चा सम्पन्न

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं कार्यक्रमों को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ

श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 22.09.2026 को थाना कोतवाली नगर परिसर में आगामी त्यौहार दुर्गापूजा, मूर्ति विसर्जन, दशहरा, रामलीला, नक्कटैया, मारीच वध, भरत मिलाप, दीपावली एवं अन्य त्यौहार/ कार्यक्रमों के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट सदर मऊ, उपजिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद मऊ, क्षेत्राधिकारी नगर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, एसडीओ विद्युत, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम के अधिकारी/ कर्मचारीगण, वन विभाग के अधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी, थानाध्यक्ष थाना दक्षिण टोला तथा थाना कोतवाली नगर के समस्त चौकी प्रभारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में थाना कोतवाली नगर, थाना सरायलखंसी एवं थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के दुर्गापूजा पाण्डालों के आयोजक/ व्यवस्थापक, दुर्गापूजा समिति के पदाधिकारीगण, रामलीला कमेटी संस्कृत पाठशाला, रामलीला कमेटी रेलवे ग्राउण्ड, रामलीला कमेटी ककरिहार भीटी के आयोजक एवं पदाधिकारीगण, नक्कटैया एवं मारीच वध स्थल के वर्तमान भूमि स्वामी तथा पीस कमेटी के सदस्यगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिनसे कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा एवं व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तथा त्यौहारों को आपसी भाईचारे, सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने व आयोजकों के द्वारा कार्यक्रमों के दौरान स्थलों पर भीड़ प्रबन्धन, वालंटियर व्यवस्था, फायर सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा, पाण्डालों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने /यातायात व्यवस्था तथा जुलूस/विसर्जन मार्ग से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने हेतु व किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल पुलिस-प्रशासन को अवगत कराने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये।

बैठक में सभी आयोजकों, पदाधिकारीगण एवं पीस कमेटी के सदस्यों से क्षेत्र एवं त्यौहार के दौरान आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी। उपस्थित लोगों द्वारा अपनी-अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं से अवगत कराया गया, जिन्हें सम्बन्धित विभागों नगर पालिका, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं सेतु निगम के अधिकारी/ कर्मचारीगण को उनके विभाग से सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थाओं को यथाशीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। तथा साथ ही शासन की मंशा एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेश- निर्देशों के क्रम में आगामी समस्त कार्यक्रमों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा स्थानीय स्तर की समस्याओं का समय से समाधान किये जाने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान पुलिस- प्रशासन द्वारा सभी आयोजकों एवं पीस कमेटी के सदस्यों से आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाये रखने तथा आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने में पुलिस- प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गयी।